दिनांक 08.10.2019
प्रेस विज्ञप्ति 12/19

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद जालौन/थाना माधौगढ़

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 तमंचा 315 बोर, 03 जीवित व 02 खोखा कारतूस**
- **1520 रू0 नगद मय पर्स**
- **01 सोने की चेन आदि बरामद**

दिनांक 08.10.2019 को थाना माधौगढ़ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर माधौगढ़ के भीमनगर से झरैला मोड़ से आगे महाराजपुर की ओर सड़क मार्ग पर संदिग्ध मोटर साइकिल सवार की घेराबंदी की गयी तो उसने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। जिसमें आरक्षी अजय प्रताप घायल हो गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अपराधी जितेन्द्र उर्फ शैलेन्द्र उर्फ जितेन्द्र शर्मा घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 03 जीवित व 02 खोखा कारतूस, 1520 रू0 नगद मय पर्स, 01 मोटर साइकिल, 01 मोबाइल फोन व 01 सोने की चेन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद औरया व जालौन के विभिन्न थानों में वाहन चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट,एनडीपीएस एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के 16 अभियोग पंजीकृत हैं एवं अभियुक्त थाना कोतवाली उरई पर पंजीकृत मु0अ0सं0 889/2019 धारा 392 भादवि में वांछित चल रहा था। अभियुक्त की गिरफ्तारी पर झांसी परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना माधौगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1. जितेन्द्र उर्फ शैलेन्द्र उर्फ जितेन्द्र शर्मा निवासी ग्राम जगम्मनपुर थाना रामपुरा जनपद जालौन हाल पता मो0बघौरा उरई थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन।

बरामदगी

1. 01 तमंचा 315 बोर, 03 जीवित व 02 खोखा कारतूस,
2. 1520 रू0 नगद मय पर्स
3. 01 मोटर साइकिल
4. 01 सोने की चेन
5. 01 मोबाइल फोन आदि

एसटीएफ : पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों को दूसरे राज्यों से मादक पदार्थों की आपूर्ति करने वाले गिरोह के सरगना एवं रूपये 25,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी राजेश कुमार मिश्र गिरफ्तार।

दिनांक 08–10–2019 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को, पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में दूसरे राज्यों से अवैध मादक पदार्थों की आपूर्ति करने वाले गिरोह के सरगना एवं रूपये 25,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी राजेश कुमार मिश्र को प्रतापगढ़ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

राजेश कुमार मिश्र पुत्र रामजी मिश्र, निवासी ग्राम मुन्दीपुर, थाना मानिकपुर, प्रतापगढ़।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश के द्वारा विगत दिनों में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोहो पर विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगणों को जेल भेजा गया था। एसटीएफ की विभिन्न टीमों द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोहों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही थी, उक्त कार्यवाही के दौरान ज्ञात हुआ था कि राजेश कुमार मिश्र द्वारा एक बड़ा गिरोह संचालित कर विभिन्न राज्यों से अवैध तरीके से मादक पदार्थों की पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आपूर्ति किया जाता रहा है।

उपरोक्त सम्बन्ध में श्री राजीव नारायण मिश्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा एसटीएफ के विभिन्न टीमों को अभिसूचना संकलन एवं ऐसे अवैध मादक पदार्थो की सप्लाई करने वाले गिरोहों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किये जाने के क्रम में श्री शेष मणि उपाध्याय पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ, उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में टीम गठित कर अभिसूचना तंत्र को सक्रिय करके अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

अभिसूचना संकलन के दौरान जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह का सरगना मु0अ0सं0 167/2019 में वांछित व रू0 25,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी राजेश कुमार मिश्र अलीगंज

चौराहा, थाना मानिकपुर क्षेत्र जनपद प्रतापगढ़ पर पहुचकर कही जाने की फिराक में है। इस सूचना पर उ0नि0 श्री पवन कुमार सिंह के नेतृत्व में एक टीम मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुचकर इनामी अपराधी राजेश कुमार मिश्र को आवश्यक बल प्रयोग करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ करने पर अभियुक्त राजेश कुमार मिश्र ने बताया कि वह उड़ीसा झारखण्ड आदि प्रदेशों से अवैध मादक पदार्थ (गांजा) मंगाता था और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी, उन्नाव, बाराबंकी आदि जनपदों के छोटे–छोटे कस्बों में इसकी आपूर्ति करता था।

अभियुक्त राजेश कुमार मिश्र का ज्ञात हुआ आपराधिक इतिहासः–

क्र0सं0	अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	177/2012	8/20 एनडीपीएस एक्ट	मानिकपुर	प्रतापगढ़
2	132/2019	8/20 एनडीपीएस एक्ट	मानिकपुर	प्रतापगढ़
3	167/2019	8/20 एनडीपीएस एक्ट	मानिकपुर	प्रतापगढ़

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त को थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 167/2019 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में दाखिल किया गया है। अग्रेतर कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एसटीएफ : खुर्जा स्थित पैथोलाजी लैब के स्वामी एवं व्यवसायी की हत्या भाड़े के शूटरों से कराये जाने की योजना बनाकर घटना को अन्जाम देने की तैयारी कर रहे 03 बदमाशों को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 ने साहसिक मुठभेड़ में किया गिरफ्तार।

दिनांक 07–10–2019 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को थाना खुर्जा, बुलन्दशहर पुलिस के सहयोग से जमीनी विवाद के कारण खुर्जा स्थित पैथोलाजी लैब के स्वामी एवं व्यवसायी की हत्या, भाड़े के शूटरों से कराये जाने की योजना बनाकर घटना को अन्जाम देने की तैयारी कर रहे 03 बदमाशों को साहसिक मुठभेड़ में गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1:– सूर्य प्रताप सिंह पुत्र सुरेन्द्र पाल सिंह निवासी म0नं0–149 मुरारीनगर द्वितीय, सेल टेक्स के पीछे, खर्जानगर, बुलन्दशहर।

2:– राजू पुत्र नवाब सिंह निवासी निठारी थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

3:– सचिन कुमार पुत्र सुरेश कुमार निवासी म0नं0–24 एसडीएम कालोनी निकट इण्डियन गैस गोदाम, सिकन्द्राबाद, बुलन्दशहर।

गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामदगीः–

1– 02 तमन्चे 315 बोर।

2– 01 पिस्टल 32 बोर मय मैगजीन।

3– 02 खोखा व 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

4– 05 जिन्दा कारतूस 32 बोर।

5– 01 वीवो कम्पनी का मोबाईल फोन।

घटना स्थलः—नवदुर्गा रोड, हिन्दुस्तान पेट्रोल पम्प के पास खुर्जानगर, बुलन्दशहर दिनांक / समयः—07—10—2019 लगभग 21.45 बजे।

श्री अमिताभ यश, पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ, श्री राजीव नारायण मिश्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ उत्तर प्रदेश, लखनऊ व श्री कुलदीप नारायण, पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, गौतमबुद्धनगर द्वारा भाड़े पर हत्या करने वाले अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही एवं गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में श्री राज कुमार मिश्रा, पुलिस उपाधीक्षक व श्री विनोद सिंह सिरोही, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0, फील्ड यूनिट, नोएडा, गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में उ0नि0 श्री अक्षय प्रवीर कुमार त्यागी एसटीएफ नोएडा की टीम गठित कर इस सम्बन्ध में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के दौरान एसटीएफ, नोएडा को विश्वसनीय श्रोतों से यह सूचना प्राप्त हुई कि जमीनी विवाद के कारण खुर्जा, बुलन्दशहर निवासी सूर्य प्रताप सिंह व उसके भाई हेमन्त द्वारा दिनांक 08—10—2019 को खुर्जा बुलन्दशहर के ही एक व्यवसायी जिसका खुर्जा में एक प्रतिष्ठित पैथोपाली लैब है, की हत्या भाड़े के हत्यारों से कराये जाने की योजना बनाई गई है तथा सूर्य प्रताप सिंह भाड़े के हत्यारों के साथ खर्जा में नवदुर्गा रोड स्थित हिन्दुस्तान पेट्रोल पम्प के पास गली के अन्दर स्थित एक मकान में हत्या की घटना में प्रयुक्त होने वाले हथियारों के साथ इकटठा हैं। इस सूचना पर विश्वास करके एस0टी0एफ0 नोएडा टीम द्वारा थाना खुर्जा, बुलन्दशहर पुलिस को साथ लेकर गन्तव्य स्थान पर पहुॅचकर घेराबन्दी करके बाद मुठभेड़ अपने साहस एवं व्यसायिक दक्षता का परिचय देते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्त सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि वह बी0कॉम तक शिक्षा प्राप्त किया है तथा उसकी आयु लगभग 28 साल है, वह 2015 से अपराध कर रहा है जिसमें मुख्य लूट और चोरी करना था। वर्ष 2016 में वह थाना सेक्टर—58 नोएडा से लूट के केस में जेल गया था और 5—6 महीने जेल में रहा था। जेल से बाहर निकलने के बाद वह पुनः अपराध करने लगा तथा वर्ष 2019 में थाना खुर्जा, बुलन्दशहर से जेल गया जहॉ पर उसकी मुलाकात सचिन जाट से हुई। सचिन जाट की आयु लगभग 35 साल है तथा उस पर भी लूट के कई मुकदमें है। जब सूर्य प्रताप सिंह जेल से बाहर निकला तो उस समय शान्ति देवी निवासी कानपुर से उसका जमीनी विवाद चल रहा था। शन्ति देवी ने वर्ष 2019 में उस विवादित जमीन की पॉवर ऑफ एटार्नी खुर्जा निवासी पैथोलाजी लैब स्वामी को कर दी थी, जिसके कारण सूर्य प्रताप सिंह, पैथोलाजी लैब के स्वामी से दुश्मनी मानने लगा था और इसी लिए उसने अपने पूर्व परिचित सचिन जाट को पैथोलाजी लैब के स्वामी को रास्ते से हटाने के लिए 15 लाख रूपये में सुपारी दे दी। सचिन जाट ने इस घटना को करने के लिए अपने एक और साथी राजू पुत्र नवाब सिंह निवासी निठारी थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर को शामिल कर लिया तथा इस घटना को करने के लिए असलहो की व्यवस्था सूर्य प्रताप सिंह के भाई हेमन्त ने की थी। इस प्रकार उ0प्र0 एस0टी0एफ0 की सक्रिया से दशहरा त्यौहार से ठीक पहले खुर्जा, बुलन्दशहर क्षेत्र में एक बड़ी हत्या की घटना को अन्जाम देने से पहले ही अभियुक्तों को दबोच कर रोक दिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की अन्य अपराधिक गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध निम्न अभियोग पंजीकृत होना ज्ञात हुआ है।ः—

1—अभियुक्त सूर्य प्रताप सिंह उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत अभियोगः—

क्र0सं0	**मु0अ0सं0**	**धारा**	**नाम थाना**	**जनपद का नाम**
1	1358/15	379,411 भादवि	सेक्टर—58	गौतमबुद्धनगर
2	63/16	392,411 भादवि	सेक्टर—58	गौतमबुद्धनगर
3	270/16	2/3 गैंगस्टर एक्ट	सेक्टर—58	गौतमबुद्धनगर
4	1069/17	147,452,323,506 भादवि	खुर्जानगर	बुलन्दशहर
5	365/18	392,397,34 भादवि	खोडा	गाजियाबाद
6	741/18	392 भादवि	खोडा	गाजियाबा
7	785/18	380 भादवि	खोडा	गाजियाबाद
8	863/18	356 भादवि	खोडा	गाजियाबाद
9	657/19	307,120बी,44 भादवि	खुर्जानगर	बुलन्दशहर
10	658/19	25/27 आर्म्स एक्ट	खुर्जानगर	बुलन्दशहर

2—अभियुक्त सचिन कुमार उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत अभियोगः—

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	नाम थाना	जनपद का नाम
1	392/19	307,506,504,354 भादवि	सिकन्द्राबाद	बुलन्दशहर
2	657/19	307,120बी,44 भादवि	खुर्जानगर	बुलन्दशहर
3	660/19	25/27 आर्म्स एक्ट	खुर्जानगर	बुलन्दशहर

3—अभियुक्त राजू उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत अभियोगः—

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	नाम थाना	जनपद का नाम
1	212/02	302 भादवि	कोतवाली देहात	बुलन्दशहर
2	1252/17	60/63 आबकारी अधि0	कोतवाली देहात	बुलन्दशहर
3	1678/17	354क,504 भादवि	कोतवाली देहात	बुलन्दशहर
4	657/19	307,120बी,34 भादवि	खुर्जानगर	बुलन्दशहर
5	659/19	25/27 आर्म्स एक्ट	खुर्जानगर	बुलन्दशहर

गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों के विरूद्ध थाना खुर्जानगर, बुलन्दशहर मु0अ0सं0ः 657/19 धारा 307,120बी,34 भादवि तथा मु0अ0सं0ः658,659 व 660/19 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट के अभियोग पंजीकृत कराये गये हैं और अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

जनपद गोरखपुर/थाना शाहपुर

- **25 हजार रू0 के पुरस्कार घोषित अपराधी सहित कुल 07 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट का 3200 रू0 नगद**
- **04 मोटर साइकिलें बरामद**

दिनांक 08.10.2019 को थाना शाहपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आरपीएफ कालोनी के आगे रेलवे पुल के पास घेराबंदी कर पुरस्कार घोषित अपराधी 1.संतीष उर्फ लोढ़ी सहित 2.संदीप उर्फ पिन्टू, 3.संदीप निषाद, 4.मुन्ना, 5. सोलू, 6.दीपू, 7.पप्पू को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट का 3200 रू0 नगद, लूट की घटना में प्रयुक्त 04 मोटर साइकिलें(01 चोरी की)आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों में चोरी, लूट आदि के 01 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं एवं अभियुक्त संतीष उर्फ लोढ़ी के विरूद्ध जनपद के विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी पर जनपद स्तर से 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि वह लोग मोटरसाइकिलों की नम्बर प्लेट बदलकर चैन स्नेचिंग आदि की घटनायें कारित करते हैं, अभियुक्तों द्वारा चेन लूट आदि की कई घटनाओं को कारित करना स्वीकार किया।

इस सम्बन्ध में थाना शाहपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. संतीष उर्फ लोढ़ी निवासी हरसेवकपुर नं02 टोला दहला थाना गुलरि जनपद गोरखपुर।
2. संदीप उर्फ पिन्टू निवासी सेमरा नं02 थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर।
3. मुन्ना निवासी सेमरा नं02 थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर।
4. सोलू निवासी हरसेवकपुर नं02 टोला दहला थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर।
5. दीपू निवासी सराय गुलरिहा थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर।
6. संदीप निवासी जंगल औराई विशुन टोला थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर।
7. पप्पू निवसीी सुखपुरा पट्टी थाना कोतवाली पडरौना जनपद गोरखपुर।

बरामदगी

1. लूट का 3200 रू0 नगद
2. लूट की घटना में प्रयुक्त 04 मोटर साइकिलें(01 चोरी की)आदि

<u>जनपद सहारनपुर/थाना देवबन्द</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 02 खोखा कारतूस**
- **01 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 07/08.10.2019 को थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम रणखण्डी यादगार रोड के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबंदी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी कार्यवाही में शातिर बदमाश 1.सलमान उर्फ जॉन, 2.परवेज उर्फ सल्लू घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। मौके से 02 अन्य बदमाश फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 02 खोखा कारतूस, 01 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं एवं कच्छा गैंग के सदस्य हैं।

इस सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1. सलमान उर्फ जॉन निवासी ग्राम लहराकमनगर थाना हयातनगर जनपद सम्भल।
2. परवेज उर्फ सल्लू निवासी ग्राम लहराकमनगर थाना हयातनगर जनपद सम्भल।

<u>बरामदगी</u>

1. 02 तमंचा 315 बोर, 05 जीवित, 02 खोखा कारतूस
2. 01 मोबाइल फोन आदि

....